16.8.23 पत्रावली पेश हुई। दिनांक 7.8.2023 को प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादिया का दावा स्वीकार किया जाता है। विरुद्ध निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2023.11.09 12:34:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– यक्ष चौधरी (प्रशिक्षु आईएएस)
नम्बर मुकदमा :– 2022/112

1. करीम बक्स पुत्र अमूखां जाति मुसलमान (समेजा) निवासी आई.सी.आई.सी.आई. बैंक गली, तिलक नगर, बीकानेर।

वादी

–: बनाम :–

1. सरफराज खां पुत्र रहमत व महमूद खां जाति मुसलमान (समेजा) निवासी रिड़मलसर सिपाहियान तहसील व जिला बीकानेर।
2. वाहिदा पुत्री रहमत व महमूद खां पत्नी हासम अली जाति मुसलमान (समेजा) निवासी आर के स्कूल के पास, सुभाष पेट्रोल पम्प के पीछे, तिलक नगर, बीकानेर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बीकानेर।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट व सपठित धारा 136

अभिभाषक उपस्थित:– 1. श्री बच्छराज कोठारी – वादी।
2. श्री राधाकिशन स्वामी –प्रतिवादी सं 1 ता 2 की ओर से।

–: निर्णय :– दिनांक 16.08.2023

वादी ने यह वाद दिनांक 03.06.2022 को राजस्थान [illegible] अधिनियम की धारा 88, 188 व सपठित धारा 136 के अन्तर्गत पेश किया [illegible] इस वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम मौजारोही नैणों का बास [illegible] खसरा नं 184/161/40 तादादी 19 बीघा 6 बिस्वा स्व. आमू खां पुत्र खुदाबक्स जाति मुसलमान समेजा के नाम खातेदारी में दर्ज तथा कब्जा [illegible] स्व. आमू खां के निधन के पश्चात उपरोक्त भूमि जरिए इन्तकाल सं. 212 दिनांक 12.01.2007 वादी एवं प्रतिवादीगण की माता मुस्मात रहमत पुत्री आमू खां के नाम से बहिस्सा बराबर दर्ज करा दी गई जो कतई गलत थी क्योंकि मुस्लिम लॉं के अनुसार पुत्री से दूगुना हिस्सा पुत्र का होता है। इसलिए इन्तकाल संख्या 212 गैरकानूनी होने से वादी के अधिकार के समक्ष नल एण्ड वाईड है एवं प्रभावहीन है। वादी की बहन रहमत का भी निधन हो जाने के पश्चात् इन्तकाल संख्या 352 दिनांक 06.06.2016 वादी को सूचित किये बिना दर्ज कर दिया, जिसमें भी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज किया गया है। वादगत भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा ना होकर 2/3 हिस्सा है एवं प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा ना होकर 1/3 हिस्सा है तथा वादी इसी प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2023.11.09 12:34:00 IST
Reason: SelfAttested

वादगत भूमि के 2/3 हिस्से पर काश्त करता है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दुरूस्ती की जाकर जहां–जहां वादी के नाम वादगत भूमि में 1/2 हिस्सा दर्ज किया गया है। वहां–वहां वादी के नाम 2/3 हिस्सा दर्ज किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम 1/2 हिस्सा की जगह 1/3 हिस्सा दर्ज किया जावे।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जारी सम्मन बाद तामील ए डी प्राप्त। वकील वादी द्वारा रजिस्टर्ड सम्मन की रसीदे पेश की गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की तरफ से अभिभाषक श्री राधाकिशन स्वामी द्वारा वकालतनामा पेश किया गया।

3. दिनांक 07.08.2023 को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने जरिए अभिभाषक राजीनामा पेश कर कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण पूर्वज स्व. आमू खां के उत्तराधिकारी है तथा एक ही परिवार के सदस्य है। पक्षकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है। राजीनामा के अंतर्गत कथन किया गया कि मौजारोही नैणों का बास तहसील व जिला बीकानेर खेत खसरा नं. 184/161/40 कुल तादादी 19 बीघा 6 बिस्वा (कच्चा) में से 6 बीघा 5 बिस्वा (पक्का भूमि) वादीगण की खातेदारी में रहेगी तथा शेष 5 बीघा 5 बिस्वा (पक्का भूमि) प्रतिवादीगण की खातेदारी में रहेगी। राजीनामा के अनुसार वादगत भूमि मौजारोही नैणों का बास तहसील व जिला बीकानेर खेत खसरा नं. 184/161/40 तादादी 19 बीघा 6 बिस्वा (कच्चा) के संबंध में दर्ज इन्तकाल नं. 212 दिनांक 12.01.2007 तथा इन्तकाल नं. 352 दिनांक 06.06.2016 निरस्त किया जाकर वर्णित भूमि का कुल तादादी 19 बीघा 6 बिस्वा (कच्चा) का नया इन्तकाल 6 बीघा 5 बिस्वा (पक्का भूमि) वादीगण की खातेदारी में तथा शेष 5 बीघा 5 बिस्वा (पक्का भूमि) प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज की जाती है तो हम पक्षकारान को किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं है।

4 हमने पत्रावली का अवलोकन किया । ग्राम मौजारोही नैणों का बास तहसील व जिला बीकानेर खेत खसरा नं. 184/161/40 कुल तादादी 19 बीघा 6 बिस्वा (कच्चा) में 1/2 हिस्सा वादी करीम बक्स [illegible] खां व संयुक्त 1/2 हिस्सा सरफराज व वाहिदा पुत्र/पुत्री रहमत कौम समेजा से राजस्व [illegible] दर्ज रहा [illegible] वादी ने वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी [illegible] 2/3 हिस्सा व प्रतिवादीगण 1 व 2 के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज [illegible] बाबत दावा पेश किया है। वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 2 के मध्य राजीनामा पेश हो चुका है। अतः लोक अदालत की भावना से पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामे अनुसार वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। मौजारोही नैणों का बास तहसील व जिला बीकानेर खेत खसरा नं. 184/161/40 तादादी 19 बीघा 6 बिस्वा (कच्चा) के संबंध में दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2023.11.09 12:34:00 IST
Reason: SelfAttested

इन्तकाल नं. 212 दिनांक 12.01.2007 तथा इन्तकाल नं. 352 दिनांक 06.06.2016 निरस्त किया जाकर वर्णित भूमि का कुल तादादी 19 बीघा 6 बिस्वा (कच्चा) का नया इन्तकाल 6 बीघा 5 बिस्वा (पक्का भूमि) वादी की खातेदारी में तथा शेष 5 बीघा 5 बिस्वा (पक्का भूमि) प्रतिवादीगण की खातेदारी दर्ज किया जाना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर को राजीनामा मय निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक राजीनामा वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जाकर पक्षकारान के राजीनामे अनुसार निर्णित हक व हिस्से तक भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर, बीकानेर
शहर

(यक्ष चौधरी)
सहायक कलक्टर
आई.ए.एस.(प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर
बीकानेर शहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2023.11.09 12:34:00 IST
Reason: SelfAttested